नई रजिस्ट्रीकरण संख्या आंबटन के बाद हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियम अधिनियम, 2012 की धारा (4) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण का संशोधित–पत्र।

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का संशोधित प्रमाण–पत्र

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि रजिस्ट्रार फर्मज एण्ड सोसायटी, हरियाणा के पास दिनांकः 06 मार्च 2003 को रजिस्ट्रीकृत/रजिस्ट्रीकरण संख्या 2943 रजिस्ट्रीकृत न्यु ईरा ऐजुकेशन सोसायटी, मतलौडा जिला पनीपत को हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियम अधिनियम, 2012(2012 का हरियाणा अधिनियम संख्या 1) के अधीन दिनांक 08–05–2015 को नीचे यथा वर्णित अनुसार रजिस्ट्रीकृत संख्या आंबटित की गई है।

राज्य कोड		जिला कोड			रजिस्ट्रेशन का वर्ष				रजिस्ट्रीकरण संख्या				
एच0	आर0	पी0	एन0	पी0	2	0	1	5	0	0	0	1	9
सोसायटी का नाम							रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता						
न्यु ईरा ऐजुकेशन सोसायटी							मतलौडा जिला पनीपत						

यह प्रमाण–पत्र दिनांक 08–05–2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

दिनांकः 08–05–2015
स्टेशनः पानीपत।

Distt. Registrar of Firms & Societies
PANIPAT

एस0एन0 सिंह
जिला रजिस्ट्रार फर्मज एण्ड सोसायटी
पानीपत

19/2015-16

सोसाइटी का आदर्श 'संगम ज्ञापन'

क्रम संख्या	विषय	वर्णन
1	सोसाइटी का नामः	न्यु ईरा ऐजुकेशन सोसाइटी।
2	सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर होगाः	मडलौडा जिला पानीपत।
3	अधिकारिताः	सोसाइटी हरियाणा राज्य के क्षेत्र के पानीपत .जिला में कार्य करेगी।
4	सोसाइटी के लक्ष्य तथा उद्देश्यः	उद्देश्य जो किसी सोसाइटी के लिए विशेष है नीचे वर्णित किये जाएगे। कुछ उपदर्शित उद्देश्य निम्नअनुसार होगें।
(i)	ऐसे कार्यक्रम आरम्भ करना जिसमें विज्ञान तथा प्रौधीगिकी महिलाओं के जीवन, कार्य स्थिति को सुधारने तथा लाभकर नियोजन के लिए अवसरों में मुख्य भूमिका हो।	
(ii)	शिक्षा की राष्ट्रीय निति, 1986 में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार सभी औपचारिक तथा गैर औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम आरम्भ करना।	
(iii)	खेल तथा स्वास्थ्य ध्यान गतिविधियों को बढाने के लिए कार्य करना।	
(iv)	दान या अनुदान या अंशदान के रूप में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, गैर सरकारी अभिकरणों, धर्मार्थ न्यासों से या सार्वजनिक तथा निजि वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेते हुए निधियां लेना या सम्पति अर्जित करना। सोसाइटी के वर्तमान तथा भविष्य की निधियां, सम्पतियां, परिसम्पति तथा अन्य साधनों का उपरोक्त यथा कथित सोसाइटी के किसी या सभी प्रयोजनों या उददेश्यों के लिए तथा सच्चाई तथा अहिंसा के आदर्शो के प्रोत्साहन में सभी अन्य समरूप गतिविधियों के लिए भी उपयोग किया जाएगा।	
(v)	सोसायटी का मुख्य कार्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना होगा।	
(vi)	सोसायटी शिक्षण संस्थान के लिए भवन निर्माण का प्रबन्ध करवाएगी।	
(vii)	सोसायटी समाज में गरीब बच्चों को आवश्यकतानुसार निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करेगी।	
(viii)	सोसायटी पुस्तकालयों का निर्माण करवाएगी और पुस्तकों का प्रबन्ध करेगी।	

Ved Pal Bhardwaj Sunita Sharma [signature]

5. सोसाइटी के सदस्यों के नाम जिसके प्रबन्धन कार्यों के नियत तथा उप विधिंया सौंपी जाती हैं वे निम्न प्रकार हैं:

क्रमं संख्या	नाम	पिता / पति का नाम	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
(i)	वेदपाल	श्री जयनारायण	मकान नं0 10 हाउसिंग बोर्ड कालौनी मडलौडा जिला पानीपत।	बिजनैश	Veed Pal Bhardwaj
(ii)	पवन कुमार	श्री औमप्रकाश	गांव गंगटेहडी तहसील असन्ध जिला करनाल	कृषि	Pkharma
(iii)	सुनीता शर्मा	श्री वेदपाल	मकान नं0 10 हाउसिंग बोर्ड कालौनी मडलौडा जिला पानीपत।	अध्यापन	Sunita
(iv)	सुनील कुमार	श्री प्रीत सिंह	गांव जोशी जिला पानीपत	बिजनैश	Sunil Kumar
(v)	सतीश कुमार	श्री औमप्रकाश	मडलौडा जिला पानीपत	कृषि	Satish
(vi)	कुलदीप	श्री टीकाराम	गांव जोशी तहसील मडलौडा जिला पानीपत	अध्यापन	Kuldip Kumar
(vii)	कंगना	श्री दीपक	गांव जोशी तहसील मडलौडा जिला पानीपत	अध्यापन	Kangan

Sunita Sharma

Satish

2

Veed Pal Bhardwaj

अनुबन्ध 2

सोसाईटी की उपविधियो की विषय–वस्तु के लिए व्याख्यात्मक टिप्पण

क्रम संख्या	विषय	विवरण
1	सोसाईटी का नाम	न्यु ईरा ऐजुकेशन सोसाइटी,
2	सोसाईटी की सदस्यता	अधिनियम की धारा 14 से 23 को इस निमित्त उपविधियां बनाते समय सावधानीपूर्वक पढी जाए। यह अवलोकन किया गया है कि सोसाइटी में विवादो की अधिकतम संख्या सदस्यता से सम्बन्धित है। उपविधियां की अधिकतम संख्या के विषयो को सम्बोधित की जानी चाहिए यह सोसायटी, सदस्यता की किस्म, सदस्यता की प्रत्येक किस्म के लिए फीस, सदस्य के रूप में व्यक्ति को शामिल करने की रीति तथा प्रक्रिया, सदस्यता इत्यादि को समाप्ति के लिए नियत करने की तरह होगा। आगे, सदस्य के रूप में शामिल व्यक्ति के सभी ब्योरे, जैसे कि नाम, पिता का नाम, पता (पत्राचार तथा स्थाई पता दोनो), सम्पर्क ब्यौरे (जैसे कि दूरभाष संख्या, ई मेल आई डी), जाति या समुदाय (यदि सोसाइटी की उपविधियां ऐसा प्रतिबद्व करें), पहचान तथा समय पर संसूचना की व्यवस्था आसानी से प्राप्त की जाए।
3	निष्कासित / निलम्बित सदस्यों का पुनः प्रवेश	सोसाइटी सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धो के निबन्धनो के अनुसार सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त, या सदस्य का निलम्बन तथा बहाली, यदि आवश्यक समझी जाए, के पुनः प्रवेश के लिए प्रक्रिया अपनी उपविधियों में भी अधिकथित कर सकती है। तथापि, यह भी ध्यान में रखा जाए कि कोई भी ऐसा सदस्य जो नैतिक अधमता के बराबर अपराध का सिद्वदोष हो गया हो या जो किसी कदाचार के लिए जिला रजिस्ट्रार / रजिस्ट्रार के निदेशो पर सदस्यता से हटा दिया गया है, को पुनः शामिल नहीं दिया जाना चाहिए।
4	सदस्यों के अधिकार / विशेषाधिकारों तथा कर्तव्य	सोसाईटी की उपविधियों में अपने सदस्यों के अधिकार / विशेषाधिकारों तथा कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

Sunita Bhardwaj

Ved Pal Bhardwaj

Satish

5	सामान्य निकाय की परिभाषा	'सामान्य निकायञ से अभिप्राय है सोसाइटी के 'सदस्यों ञ का उल्लेख तथा जो निर्वाचकगज में विभक्त किया जा सकता है जहां सदस्यता सोसाइटी के कॉलिजियम का गठन करने के उद्देष्य से 300 से अधिक है। कॉलिजियम का गठन तथा कॉलिजियम के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सोसाइटी/इसके प्रबन्धन द्वारा निर्णीत किया जाना चाहिए जो सोसाइटी की उपविधियों में उचित समझा जाए तथा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए।
6	शासकीय निकाय तथा कॉलिजियम का आकार	शासकीय निकाय का आकार जो अधिनियम की धारा 33 के निबन्धो के अनुसार 3 से 21 के बीच परिवर्तित किया जा सकता है, इसके पदाधिकारियों के पदनाम तथा उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य सोसाईटी की उप–विधियों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने चाहिए। जहां सोसाइटी की सदस्यता की संख्या 300 से अधिक रखने का निर्णय करती है, तो इसके लिए निर्वाचकगण (300 से अनधिक) गठित करना अपेक्षित होगा तथा इस प्रकार बना कॉलिजियम सभी उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिए सामान्य निकाय के रूप में कार्य करेगा। उस मामले में, शासकीय निकाय का आकार कॉलिजियम के आकार के 1/5 से अधिक नहीं हो सकता।
7	निर्वाचकगण का सृजन/गठन	300 सदस्यो से अधिक की सोसाइटियॉ की दशा में, ये इसकी उपविधियों में निर्वाचकगण के सृजन तथा कॉलिजियम के सदस्यों के निर्वाचन की स्कीम का उत्कीर्ण करना अपेक्षित है। परिशिष्ट 2 में उदाहरण के साथ पठित नियम 16 में अन्तर्विष्ट उपबन्ध स्पष्टता के प्रयोजनो के लिए निर्दिष्ट किए जा सकते है।
8	कॉलिजियम/शासकीय निकाय का निर्वाचन	यह ध्यान में रखते हुए कि सोसाइटियो की सदस्यता तथा निर्वाचन सोसाइटी के कार्यो के निर्वाध प्रबन्धन में समस्या का मुख्य भाग गठित करते है, यह सलाह देने योग्य है कि कॉलिजियम तथा शासकीय निकाय के निर्वाचन के सम्बन्ध मे प्रकिया अधिनियम तथा इसके अधीन बना गए नियमों के उपबन्धो के अध्ययीन सोसाइटी की उप–विधियों मे स्पष्ट रूप में परिभाषित है।

Sumita Sharma

Ved Pal Bhardwaj

9	शासकीय निकाय की अवधि	सोसाइटी के शासकीय निकाय की पदावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। सोसाइटी की उप–विधियो में इसकी पदावधि के दौरान तथा नए शासकीय निकाय के किन्हीं पदाधिकारियों या सदस्यों की रिक्ति को भरने के लिए उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट होने चाहिए।
10	शासकीय निकाय की बैठक के नोटिस की अपेक्षा	शासकीय निकाय तथा सामान्य निकाय की बैठके बुलाने के लिए नोटिस अवधियां अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धो के अध्ययीन उपविधियों में विहित की जानी चाहिए।
11	बैठक की गणपूर्ति	सोसाइटी की उप–विधियां में किसी बैठक की गणपूर्ति के लिए शर्त लगानी चाहिए। अधिनियम शासकीय निकाय/कॉलिजिय बैठक की गणपूर्ति 40 प्रतिशत के रूप में विनिर्दिष्ट करता है। नियम 16 में अन्तर्विष्ट उपबन्ध उप–विधियों में विनिर्दिष्ट करते समय दिमाग में खडे जा सकते है जैसे कि प्रथम उदाहरण तथा स्थगन में बुलाई गई बैठक की गणपूर्ति के अभाव के कारण स्थागित बैठक के लिए गणपूर्ति क्या होनी चाहिए।
12	शासकीय निकाय तथा तत्काल बैठक	उपविधियों में शासकीय निकाय की कुल संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत की लिखित सहमति सहित लघु नोटिस पर या किसी ओपचारिक नोटिस के बिना शासकीय निकाय को तत्काल बैठक बुलाने के लिए उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट किए जा सकते है।
13	शासकीय निकाय की शक्तियां	सोसाइटी की उपविधियों में शक्तियो को स्पष्ट रूप रो परिभाषित किया जाना जाहिए जिनका सोसाइटी के कार्यो के प्रबन्धन के लिए शासकीय निकाय तथा इसके पदाधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकता है। शासकीय निकाय सोसाइटी की परिसम्पति काा अभिरक्षक है।
14	सोसाइटी के पदाधिकारी तथा उनकी शक्तियां	सोसाइटी की उपविधियों में प्रत्येक पदाधिकारी, उनके पदनाम तथा उनकी शक्तियां तथा कर्तव्यों से सम्बन्धित उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट होने चाहिए। पदाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए हकदार होगे जो सोसाइटी की उपविधियो में वर्णित है। यह वित्तीय संव्यवहार पर उचित आन्तरिक नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से पदाधिकारियो द्वारा एकल रूप से या संयुक्त रूप से लेखो के प्रचालन को विनिर्दिष्ट करने के लिए लाभदायक हो सकता है।

Ved Pal Bhardwaj

15	महा सचिव/सचिव	सोसाइटी की बैठके बुलाने के लिए जिम्मेवारी सामान्यतः सोसाइटी के सचिव/महा सचिव में निहित होनी चाहिए जो सोसाइटी के सभी रिकार्ड, दस्तावेजो, अधिकार पत्र इत्यादि का अभिरक्षक भी होगा। उपविधियों मे अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, सचिव शासकीय निकाय के निर्णयों को लागू तथा अधिनियम के अधीन वैधानिक अनुपालनाओं की विभिन्न किस्मो के लिए सोसाइटी के अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेवार होगा।
16	खंजाची द्वारा निधियों का प्रबन्धन	शासकीय निकाय के सदस्यो में से एक सदस्य को खंचाची के रूप में पदनामित किया जाना चाहिए जो सोसाइटी की निधियो तथा परिसम्पतियो के उचित प्रबन्धन तथा सोसाइटी की उपविधियो/नियमो के अनुसार लेखा पुस्तको के उचित अनुरक्षण के लिए जिम्मेवार होना चाहिए। वह सभी लेखा पुस्तकों/वैधानिक रिकार्ड तथा सभी बैंक खातो की चैक बुकोः एफ डी आर, इत्यादि का अभिरक्षक होना चाहिए। उपविधिये मे अधिनियम के अधीन तथा अपेक्षित जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय मे सभी दस्तावेजो को दायर करने के लिए जिम्मेवार अधिकारी को भी विनिर्दिष्ट करना चाहिए।
17	आकस्मिक रिक्तियॉ को भरने के लिए उपबन्ध	मृत्यु, त्याग पत्र सदस्यता इत्यादि की समाप्ति के कारण सोसाइटी के पदाधिकारियो की किसी रिक्ति को भरने के सम्बन्ध में प्रकिया सोसाइटी की उपविधियो में परिभाषित की जानी चाहिए। आदर्शतः ऐसा व्यक्ति केवल जब तक सामान्य निकाय की आगामी वार्षिक सामान्य तक निरन्तर पद धारण करना चाहिए तथा कृत्य करने चाहिए तब तक उसकी नियुक्ति ऐसी वार्षिक सामान्य बैठक में आगे अभीपुष्ठ नहीं की जाती है
18	सोसाइटी की आय के स्त्रोत	प्रत्येक सोसाइटी को उसकी उप–विधियो में इसकी आय के स्त्रोत स्पष्ट रूप से परिभाषित करने चाहिए जैसे कि सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, दान सम्पति/परिसम्पति से किराया, ब्याज, उपाहार इत्यादि ताकि इसके वितिय संव्यवहार इमानदारी बनाए रखी जा सके।
19	सोसाइटी के लेखो की लेखा परीक्षा से	सोसाइटी की उपविधियो में किसी लेखा परीक्षक जो भारत की चाटर्ड एकाउटैट की संस्था का सदस्य है,

Sunita Sharma

Ved Pal Bhardwaj

Satish

	सम्बन्धित उपबन्ध	से सोसाइटी के वार्षिक लेखो की लेखा परीक्षा के लिए उपबन्ध करना चाहिए तथा ऐसा लेखा परीक्षक सोसाइटी के शासकीय निकाय का सदस्य नहीं होना चाहिए।
20	बैंक लेखो का संचालन	सोसाइटी की उपविधियो में व्यक्तियों को परिभाषित करना चाहिए जो इससे बैंक लेखो के संचालन के लिए प्राधिकृत है, जिसमें इसके कर्मचारी तथा पदाधिकारी शामिल हो सकते है। दिन प्रति दिन खर्चो को पूरा करने के लिए हाथ में नकदी की सीमा, सीमाए जिन तक प्रति दिन खर्चो को पूरा करने के लिए हाथ में नकदी की सीमा, सीमाएं जिन तक प्राधिकृत व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से तथा संयुक्त रूप से चैको पर हस्ताक्षर कर सकें ऐसी सीमाओ से बाहर हस्ताक्षरी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए

New Ira Educational Society
President
Madlauda Mandi (Panipat)

Sunita Sharma

Ved Pal Bhardwaj

Rajesh

उपविधियां खण्ड–।।

1	सोसाइटी का नाम	न्यु ईरा ऐजुकेशन सोसाइटी
2	सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (पूरा डाक पता)	मडलौडा जिला पानीपत ।
3	सोसाइटी हरियाणा राज्य के क्षेत्र के भीतर	जिला पानीपत ।

4 सदस्यता:

(1) सोसाइटी में संस्थापक सदस्यों/मूल अंशदाता सहित अधिकतम 250 सदस्य होगे।

(2) पात्रता: सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश किए जाने के उद्देश्य से व्यक्ति:

(i) प्रवेश की तिथि को 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए।

(ii) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिए।

(iii) प्रवेश फीस तथा वर्षिक अंशदान फीस जमा करने चाहिए तथा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को ऐसी फीस के भुगतान के बकाया में नहीं होने चाहिए।

(iv) दिवालिया तथा विकृत चित नहीं होना चाहिए।

(v) एक वर्ष या अधिक के कारावास वाले नैतिक अद्यमता वाले किसी अपराध का सिद्धदोष नहीं होना चाहिए।

(3) सदस्यों की प्रकार/किस्म/प्रवर्ग: सोसाइटी निम्न अनुसार सदस्यों के चार विभिन्न प्रवर्गो की होगी:

(i) **संस्थापक सदस्य**– सदस्य जो सोसाइटी के रजिस्ट्रकरण के समय पर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है तथा सोसाइटी को अपेक्षित सदस्यता फीस का भुगतान कर दिया है। संस्थापक सदस्यों की संख्या ––––––से अधिक नहीं होगी। संस्थापक सदस्य सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने हुए भी समझे जाएंगे तथा यदि सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या 300 से अधिक है, तो निर्वाचन के बिना कॉलिजियम के सदस्य होने के नाते विशेषाधिकार रखेगे।

(ii) **आजीवन सदस्य**: किसी व्यक्ति के विहित फीस के भुगतान पर आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है तथा ऐसा व्यक्ति उसके जीवन के लिए सोसाइटी के सदस्य के रूप में बना रहेगा। आजीवन सदस्यों की कुल संख्या––––––से अधिक नहीं होगी।

(iii) **साधारण सदस्य**–सोसाइटी में कुल––––––––साधारण सदस्य होगे जो उनकी वार्षिक अंशदान फीस के भुगतान के बकाया में न होने तक केवल

Veel Pal Bhardwaj

अपनी सदस्यता का निरन्तर उपभोग करेंगे। साधारण सदस्य को पदावधि सदस्य के रूप में अर्थात दो से पांच वर्ष (वर्षो) जैसी भी स्थिति हो, की अवधि के लिए शामिल किया जा सकता है तथा वह उसकी पदावधि के पूरा होने पर सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त जब तक रहेगा तब तक दूसरी पदावधि के लिए शासकीय निकाय द्वारा इसे नवीकृत नहीं किया जाता है।

(iv) **अवैतनिक सदस्य**– शासकीय निकाय विख्यात प्रतिभा तथा मैरिट के व्यक्तियों को शामिल कर सकती है या जिसकी संस्था सोसाइटी के लिए लाभप्रद के रूप में समझी जाती है या जिसमें सोसाइटी के लिए उत्कृष्ट मैरिट की सेवाए अर्पित की है या जो सोसाइटी के अवैतनिक सदस्य के रूप में भारत का या किसी अन्य देश का विख्यात नागरिक है, को वयक्तिगत सहमति प्राप्त करने के बाद किसी सदस्यता का अंशदान फीस के भुगतान के बिना शामिल किया जा सकता है। ऐसे अवैतनिक सदस्यों की संख्या ——————से अधिक नहीं होगी। अवैतनिक सदस्य बैठक में उपस्थित होने तथा विचार विर्मश में सहायक होगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) **सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदानः**

(i) सोसाइटी की सदस्यता के लिए दरें वार्षिक अंशदान निम्न अनुसार होगाः

जो सोसाइटी द्वारा अपनी उपविधियों में निर्णात किए जाए			
क्रम संख्या	सदस्य	प्रवेश फीस	वर्षिक अंशदान
1	संस्थापक सदस्य	21,00/–रूप्ये	शून्य
2	आजीवन सदस्य	1100/–रूपये	शून्य
3	साधारण सदस्य	100/–रूपये	50/–रूपये
4	अवैतनिक सदस्य	शून्य	शून्य

(ii) सदस्य के वार्षिक अंशदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को देय होगा, जो ऐसे वर्ष के जून के 30 वें दिन तक अन्तिम रूप में भुगतान किया जा सकता है। चूकवर्ता सदस्य की सदस्यता देय तिथि (30 जून) के बाद निलम्बनाधीन के रूप में समझी जाएगी तथा ऐसा सदस्य कथित वर्ष की प्रथम जुलाई के बाद कराए गए सोसाइटी के निर्वाचनों के दौरान अपना मत डालने के हकदार नहीं होगे।

(iii) वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूक के कारण सदस्यता का निलम्बन भुगतान योग्य राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित चूक को चुकाने के बाद रद्द किया जा सकता है। तथापि, वह वाकी के वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए किसी निर्वाचनमें अपना मत डालने के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) **प्रवेश प्रकिया (अंशदाता से अन्यथा सदस्यों के लिए):–**

Sunita Sharma

Veer Pal Bhardwaj

Sathi

(i) सोसाइटी के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेश समय–समय पर इसके शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाएगा।

(ii) सोसाइटी के सदस्य के रूप में इच्छुक व्यक्ति विहित प्ररूप में, तथ विधिवत भरा समर्थित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(iii) सचिव आवेदन की जांच करेगा तथा उसे निर्णय के लिए शासकीय निकाय के सम्मुख रखेगा।

(iv) शासकीय निकाय आवेदन के स्वीकृत या रद्द कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में शासकीय निकाय का निर्णय अन्तिम होगा। यह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने हेतू बाध्य नहीं होगा।

(v) शासकीय निकाय का अनुमोदन सदस्य को सूचित किया जाएगा, उसका नाम हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम 2012 के अधीन यथा विहित ऐसी रीति तथा प्ररूप में रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा उसे सोसाइटी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(6) प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्र सदस्य के यप में शामिल प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के व्यक्तिगत सदस्य तथा महा सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसके फोटो, संक्षिप्त बयौरों तथा सदस्यता प्रवर्ग वाला पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(7) **सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएं:**

(i) सोसाइटी के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में यथा अन्तर्विष्ट तथा समय समय पर संशोधित सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों द्वारा बाध्य होगे।

(ii) अवैतनिक सदस्य के सिवाए प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के निर्वाचन में अपना मत डालने का अधिकार होगा। परन्तु ऐसा सदस्य सोसाइटी के किसी देयों तथा देय तिथि से आगे तीन मास की अवधि के लिए वार्षिक अंशदान के भुगतान में चूककर्ता नहीं है।

(iii) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस देते हुए किसी कार्य दिवस को सोसाइटी की लेखा पुस्तको, सामान्य बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत वाली पुस्तकों शासकीय निकाय की बैठकों तथा सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(iv) प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में सोसाइटी को सूचित करेगा, जो सोसाइटी के सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत अभिलिखित किया जाएगा तथा जिसके बाद सोसाइटी ऐसे सदस्य को नया पहचान पत्र जारी करेगी।

(8) **सदस्यता की समाप्तिः** सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित घटनाओं में सोसाइटी के सदस्य के रूप में नहीं रहेगा।

(i) अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को आकर्षित करने।

(ii) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रतिकूल उसके कार्य करने पर।

Sumitra Sharma

Ved Pal Bhardwaj.

(iii) ऐसे सदस्य के सोसाइटी की निधियों का वित्तीय गबन का दोषी पाए जाने पर।

(iv) सोसाइटी के जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/महा रजिस्ट्रार द्वारा हटाने के लिए अभ्यारोपण तथा निदेशनो पर।

(v) अवैतनिक सदस्य सोसाइटी के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा यदि शासकीय निकाय इस निमित संकल्प पारित करते हुए ऐसा करता है।

5 **सामान्य निकाय:**

(1) सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सोसाइटी के शासकीय निकाय का सदस्य होगा तथा सोसाइटी के शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार होगा तब तक वह वार्षिक अंशदान सहित सोसाइटी के किन्ही देयों के भुगतान के बकाया में नहीं रहता है।

(2). प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरूष मतदान अनुज्ञान नहीं किया जाएगा।

6. **सामान्य निकाय की बैठकें:**

(i) सोसाइटी के सामान्य निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो, बुलाई जाएगी। तथापि सोसाइटी के सामान्य निकाय की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी जैसाकि वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) यथा अपेक्षित सोसाइटी के किसी अन्य कारबार के सव्यवहार के अतिरिक्त सोसाइटी के विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखो के विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर एक वर्ष में बुलाई जाएगी।

(ii) सोसाइटी का शासकीय निकाय या तो वह स्वयं या सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम 1/10 से ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणों सहित लिखित मांग की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके अधीन यथा विहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर सोसाइटी के सामान्य निकाय की असाधारण बैठक बुला सकता है।

(iii) सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिए संव्यहारित किए जाने वाले कारबार के एजेंडे के प्रति बैठक की तिथि, समय तथा स्थान सहित कम से कम 14 दिन का स्पष्ट नोटिस सामान्य निकाय के सदस्यों को दिया जाएगा। ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित की जाएगी।

(iv) सामान्य निकाय की बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों के बहुमत द्वारा (कुल सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक) यदि सहमत हो, लघु नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है।

(v) साामान्य निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति न्युनतम चार सदस्यों के अध्यधीन मत के लिए हकदार तथा व्यकितगत रूप में उपस्थित कुल सदस्यों के 40 प्रतिशत से होगी। गणपूर्ति की कमी के लिए स्थगित बैठक की दशा में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति न्युनतम तीन के अध्यधीन, कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी। सामान्य निकाय किसी विशेष संकल्प के विचारण के सिवाए ऐसी

Ved Pal Bhardwaj

स्थगित बैठक में सभी कारबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा। कोई विशेष संकल्प केवल ऐसी स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा यदि सोसाइटी के कुल सदस्यों का कम से कम 25 प्रतिशत उपस्थित है।

(vi) सामान्य निकाय की सभी बैठकों की कार्यवाहियां सचिव द्वारा प्रयोजन के लिए अलग रूप से रखी गई कार्यवृत पुस्तक (बांधी गई या खुल्ले पानी में) में अभिलिखित की जाएगी तथा ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसाइटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

7. **सामान्य निकाय की शक्तियॉ, कृत्य तथा कर्तव्यः–**

(i) सोसाइटी को इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का अवधारण करने तथा पूरा करने में गाइड करना।

(ii) पालिसी मामलों का निर्णय करना जैसे कि सोसाइटी के नाम का परिवर्तन, सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों में संशोधन, सोसाइटी के वार्षिक लेखों का अनुमोदन, सोसाइटी इत्यादि की अचल परिसम्पतियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम तथा नियम 2012 के अधीन अपेक्षित है।

(iii) शासकीय निकाय के सदस्यों को निर्वाचित करना।

(iv) शासकीय निकाय से किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्ति के विरूद्ध शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान।

8 **शासकीय निकायः**

(1) संयोजनः सोसाइटी का शासकीय निकाय निम्न अनुसार कुल 11 पदाधिकारियों तथा सदस्यों का होगा।

(क) प्रधान
(ख) उप प्रधान
(ग) महा सचिव/सचिव
(घ) संयुक्त सचिव
(ड) खंजाची
(च) शासकीय निकाय द्वारा किसी अवैतनिक सदस्य के सहयोजन सहित छह कार्यकारी सदस्य।

(2) **शासकीय निकाय का निर्वाचनः**

(i) शासकीय निकाय की अवधि जिला रजिस्ट्रार द्वारा इसके निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की होगी।

(ii) शासकीय निकाय निर्वाचनों को करवाने के लिए निर्वाचन की अनुसूची घोषित करेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा निर्वाचनों को करवाने के लिए सामान्य बैठक को बुलाने से कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकदार सामान्य निका के सदस्यों की सूची भी अधिसूचित/प्रदर्शित करेगा। शासकीय निकाय तिथि, समय तथा रीति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को शासकीय निकाय

Sumitra

Ved Pal Bhardwaj

के निर्वाचन करवाने के लिए नोटिस भी भेजेगा। शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के सम्बन्ध में सूचना जिला रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए भी भेजेगा, यदि वह ऐसी इच्छा करें।

(iii) मत के लिए हकदार सोसाइटी के सदस्यों की सूची के रूप में किसी आक्षेप का सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाएगा। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय राय की किसी भिन्नता की घटना में अन्तिम होगा। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन की अनुसूची, नामांकन की संवीक्षा तथा वापसी, यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतरदायर किए जाने के लिए नामांकन आमंत्रित करेगा।

(iv) रिटर्निंग अधिकारी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर चुनाव लडने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित तिथि को निर्वाचन करवाएगा। मत के लिए पात्र सदस्य की स्वयं तथा जहां कहीं विवाद हो, सोसाइटी द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रस्तुति पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(v) मतदान की तिथि को समय की समाप्ति के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा सोसाइटी का शासकीय निकाय गठित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शासकीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों की सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा, जो अपनी सन्तुष्टि पर उसका अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।

(vi) सोसाइटी के पदाधिकारी सोसाइटी की सेंवाएं देने के लिए किसी परिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होंगे।

(3) **शासकीय निकाय की किसी आकस्मिक रिक्ति को भरना:–**

शासकीय निकाय के किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्ति सोसाइटी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक करने तक तदर्थ आधार पर सामान्य निकाय के सदस्यों में से, यदि अपेक्षित हो, शासकीय निकाय द्वारा भरी जा सकती है। शासकीय निकाय के ऐसे तदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा, यदि उसको नियुक्ति निकाय की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित नहीं की जाती है।

(4) **शासकीय निकाय की बैठक–**

(i) शासकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी। तथापि, शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा वित्त वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कम चार बैठक होगी।

(ii) प्रत्येक ऐसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियम तिथि से पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय के सचिव द्वारा

Ved Pal Bhardwaj

दिया जाएगा। तथापि, शासकीय निकाय इसके सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत की सहमति से जब कभी ऐसा अपेक्षित, हो लघु नोटिस पर बैठक कर सकता है।

(iii) शासकीय निकाय की बैठकों की गणपूर्ति, न्युनतम 5 सदस्यों के अध्यधीन, शासकीय निकाय के कुल सदस्यों के कम से कम 40 प्रतिशत से होगी। यदि गणपूर्ति विद्यमान नहीं है, तो बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी। जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा। न्युनतम तीन सदस्यों के अध्यधीन स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्य स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।

(iv) शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप में रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी। ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसाइटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जांएगें। यदि अध्यक्ष या सचिव कार्यवृत हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नही है। तो वे शासकीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्हीं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएगें।

(v) शासकीय निकाय को प्रत्येक बैठक के कार्यवृत शासकीय निकाय की परवर्ती बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाएगें।

(5) **शासकीय निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्यः–**

(i) शासकीय निकाय सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा सोसाइटी के सर्वोतम हित में कार्य करेगा जिसके लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए सोसाइटी की निधियों तथा परिसम्पत्तियां के फैलाव के लिए सशक्त किया जाएगा।

(ii) शासकीय निकाय इस द्वारा यथा निर्णीत इसके नाम से निधियां उठाने तथा पूर्णस्वामित्व या पट्टा आधार पर चल तथा अचल सम्पति खरीदने के लिए सक्षम होगा।

(iii) शासकीय निकाय सोसाइटी से सम्बन्धित या में निहित सभी अचल सम्पतियों तथा चल परिसम्पतियों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हे ऐसी रीति में प्रबन्धित करेगा जैसा यह सोसाइटी के शासकीय निकाय के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देशन के अध्यधीन उचित समझे।

(iv) शासकीय निकाय रीति जो वह सोसाइटी के सर्वोतम हित में उचित समझे, में निधियां निवेश करने के लिए सक्षम होगा तथा यह निर्णीत रीति में सोसाइटी की ओर. से सम्पतियां उधार लेने या गिरवी रखने या बन्धक रखने के लिए सक्षम होगा तथा यह निर्णीत रीति में सोसाइटी की ओर से सम्पतियां उधार लेने या गिरवी रखने या बन्धक रखने के लिए सक्षम होगा।

(v) ऐसे कृत्यों जो समय समय पर सोंपे जाएं, की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्थाई या तदर्थ समितियां गठित करना।

Ved Pal Bhardwaj

(vi) सीविनहीन रीति में लिपिकीय, लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखभाल करने के लिए सोसाइटी के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों को लगाने के लिए प्रबन्ध सृजित करना।

(vii) बाहरी स्रोत से कतिपय कृत्य करना अर्थात् सोसाइटी के परिसरों की सफाई सुरक्षा तथा समरूप अन्य रखरखाव गतिविधियां।

(6) **शासकीय निकाय के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य–**

(i) **प्रधानः**

(क.) सामान्य निकाय की तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियां नियन्त्रित करना।

(ख) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय–समय पर सामान्य निकाय तथा/या शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(ग) किसी मामले पर विचार विर्मश को अनुज्ञात या अस्वीकार करना जो एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता है।

(घ) सोसाइटी/शासकीय निकाय के उचित तथा पारदर्शी कृत्य करना सुनिश्चित करना।

(ड.) हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की कडी अनुपालना सुनिश्चित करना।

(च.) सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उदेश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों का पर्यवेक्षण तथा गाइड करना।

(i) **उप–प्रधानः**

(क) प्रधान की उसके कर्तव्यों को करने में सहायता करना।

(ख) प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान की ओर से कार्य करना तथा सभी कर्तव्यों को पूरा करना तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

(ग) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(iii) **महा सचिव/सचिवः**

(क) सोसाइटी के सभी कार्यो को करना, संघटित करना, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध करना तथा सोसाइटी के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा सभी ऐसे कर्तव्य पूरे करना जो प्रधान/शासकीय निकाय द्वारा सौंपे जाए।

(ख) शासकीय निकाय के सम्मुख सोसाइटी के सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना, संवीक्षा करना तथा रखना तथा सदस्य का नाम उसके आधक्षर के अधीन सदस्यों के रजिस्टर में,यदि अनुमोदित हो, दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों को सूचित करना तथा इस प्रकार शामिल किए गए सदस्यों को पहचान पत्र जारी करना।

(ग) प्रधान की सहमति से सामान्य निकाय/शासकीय निकाय की बैठक आयोजित करना तथा इन उपविधियों के अधीन यथा विहित उचित नोटिस तामील करना।

Ved Pal Bhardwaj

(घ) सामान्य निकाय तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों में हाजिर होना तथा बैठके करने में प्रधान की सहायता करना तथा सभी बैठकों को कार्यवाहियों का रिकार्ड करना।

(ड) सोसाइटी की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसे रखने के अनुमोदन के लिए सोसाइटी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित शासकीय निकाय के सम्मुख उसे रखना।

(च) सोसाइटी/शासकीय निकाय का रिकार्ड रखना तथा परिरक्षण करना।

(छ) सोसाइटी के सम्पूर्ण कार्यो की देखभाल करने में तथा सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रधान की सहायता करना तथा सहयोग देना।

(ज) जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधानिक विवरणी/दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारों को समय पर दायर करना सुनिश्चित करना जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाए।

झ) सोसाइटी की सामान्य मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अभिरक्षक होना तथा शासकीय निकाय के अनुमोदन के अनुसार, जहां कही अपेक्षित हो, उसे लगाना।

(ण) सोसाइटी/शासकीय निकाय की ओर से पत्राचार करना तथा उसकी ओर से पत्रों तथा कागजों पर हस्ताक्षर करना तथा सुनिश्चित करना कि सभी वैधानिक रजिस्टर तथा रिकार्ड को उचित रूप से रखे तथा अनुरक्षित किए जा रहे है।

(ट) निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि की घोषणा से पूर्व मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार, विधिवत अद्यतन करना तथा शासकीय निकाय के सम्मुख इसे रखना।

(ठ) सोसाइटी के सभी कार्यक्रमों के प्रशासन तथा निष्पादन के सम्पूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करना/जिसमें पदों का सृजन, वेतन/पारिश्रमिक/भत्तों इत्यादि का नियतन, अमले की नियुक्तियां करने/लगाने, खरीद करने सहित शासकीय निकाय की ओर से वित्तीय कार्य शामिल है तथा सभी अन्य ऐसे काम करना जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा प्रत्यायोजन के अनुसार सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक हों तथा जहां कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन सोसाइटी के प्रधान के परामर्श से विशिष्ट रूप से नहीं किया जाता है।

(iv) **संयुक्त सचिवः**

(क) सोसाइटी के महा सचिव/सचिव की उसके कृत्यों तथा कर्तव्यों को करने में सहायता करना।

(ख) शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत सीमा तक उसकी अनुपस्थिति में सोसाइटी के सामान्य सचिव/सचिव के कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना।

(ग) ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों की देखभाल करना तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जो समय समय पर सोसाइटी के शासकीय निकाय द्वारा सौंपे तथा प्रत्यायोजित किए जाए।

(v) **खजांचीः**

Sunita [illegible] Sally

Ved Pal Bhardwaj

(क) सोसाइटी के सभी वित्तीय संव्यवहारों तथा सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी राशियों के लेखे रखना तथा ऐसे मामलों से सम्बन्धित, तथा परिसम्पति, जमा तथा दायित्वों की प्राप्तियों तथा खर्चो के रिकार्ड रखना।

(ख) प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासकीय निकाय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित सोसाइटी के लेखे प्राप्त करना।

(ग) वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व सोसाइटी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे महा सचिव/सचिव के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तुत करना।

(घ) सोसाइटी की सभी लेखा पुस्तकों, वित्तीय विवरणी, रसीद पुस्तकों, व्यय वाउचरों, बैंक पास बुक तथा चैक बुक, नकदी इत्यादि के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना।

(7) **शासकीय निकाय के सदस्यों की समाप्ति–** शासकीय निकाय के पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी/कार्यकारी सदस्य के रूप में नहीं रहेगेः–

(क) उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर तथा स्वीकृति पर।

(ख) यदि वह इन उप विधियों के खण्ड 4 के उप खण्ड (8) के अनुसार सदस्य के रूप में नहीं रहा है।

(ग) यदि उसे सामान्य निकाय की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है।

(8) **सोसाइटी के नियोजन से अपवर्जनः**

(क) सोसाइटी का कोई भी सदस्य सोसाइटी के पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन में नहीं रहेगा।

(ख) शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट सम्बन्धी उसकी अवधि के दौरान सोसाइटी के कर्मचारी के रूप में नही लगाया जाएगा।

(ग) शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा यदि सोसाइटी के नियोजन में कोई व्यक्ति उसका निकट सम्बन्धी है।

9 **सोसाइटी के संगम ज्ञापन, उपविधियों नाम इत्यादि में संशोधन–** सोसाइटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों का नाम का परिवर्तन, समामेलन या विभाजन में कोई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल सामान्य निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा। अपेक्षित दस्तावेजो की सत्यापित प्रति सहित किसी ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना ऐसे समय के भीतर महासचिव/सचिव द्वारा जिला रजिस्टार के कार्यालय में दायर की जायेगी जो हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए।

10. **सोसाइटी की परिसम्पति तथा निधियों का प्रबन्धन–**

(i) सोसाइटी की आय के स्रोतो में सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, सम्पति/परिसम्पति से किराया, ब्याज, परामर्श फीस, दान, उपहार, अनुदान इत्यादि के मदे प्राप्तियां शामिल होगी। सोसाइटी इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त

Veel Pal Bhardwaj

लघु अवधि कर्ज के द्वारा या ब्याज पर अनुसूचित बैंक से भी निधियां ले सकती है। ब्याज पर अनुसूचित बेंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पति के सृजन की खरीद के लिए लेगी तथा न कि किन्ही परिस्थितियों के अधीन किसी आवर्ती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए होगी।

(ii) शासकीय निकाय वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर सोसाइटी के वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसकी प्रति भी रखेगा।

(iii) सोसाइटी के बैंक लेखे ऐसे सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जांएगे जो समय समय पर शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाए।

(iv) सभी परिसम्पति तथा निधियॉ सोसाइटी से सम्बन्धित होंगी तथा सोसाइटी में निहित होंगी।

(v) सोसाइटी की सभी प्राप्तियां तथा भुगतान बैंक दस्तावेजो के माध्यम से किए जांएगे (अर्थात् डी डी/पे आर्डर/चैक/बैंक ट्रांसफर/आर टी जी एस) जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान की ओर सभी प्राप्तियां शामिल है। तथापि, शासकीय निकाय वित्तीय संव्यवहार की सीमांए अवधारित कर सकता है जो कतिपय अन्य मामलों में नकद में की जा सकती है।

11. **सोसाइटी के लेखेः**

(i) सोसाइटी का खजांची आय कर कानूनी तथा/या किसी अन्य प्राधिकार के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों अर्थात् रोकड बही, लेजर इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा जिसमें सोसाइटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा सोसाइटी की परिसम्पति तथा दायित्वों के सम्बन्ध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत की चार्टर्ड लेखाकार की संस्था शामिल है।

(ii) सोसाइटी की लेखा पुस्तके सोसाइटी के महा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तथा किसी सदस्य द्वारा कारबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

(iii) सोसाइटी के वार्षिक लेखे सोसाइटी के किसी दो प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(iv) शासकीय निकाय ऐसे पारिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किया जाए, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सोसाइटी के लेखों की लेखापरीक्षा तथा आयकर विवरणी को दायर करने के लिए चार्टर्ड लेखाकार को नियुक्त करेगा, जो शासकीय निकाय का सदस्य या शासकीय निकाय के किसी सदस्य का परिवारिक सदस्य नहीं होगा।

Sunita

Ved Pal Bhardwaj

12 **सामान्य मुद्राः**

सोसाइटी के पास एक सामान्य मुद्रा होगी जो महा सचिव/सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदन के अनुदान जहां कहीं यह अपेक्षित हो, लगाई जाएगी।

13 **सामान्य का समामेलनः** सोसाइटी स्वयं को एक समान लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसाइटी में समामेलित कर सकती है या अधिनियम की धारा 51 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के नियम 25 में अन्तर्विष्ट उपबन्धो के अनुसार इस निमित्त पारित विशेष संकल्प द्वारा स्वयं में समामेलित करने के लिए किसी अन्य सोसाइटी को अनुज्ञात कर सकती है।

14 **सोसाइटी का विघटनः**

(i) सोसाइटी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धो के अनुसार स्वयं का विघटन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है यदि सोसाइटी की प्रक्रिया को चलाना कठिन हो जाता है, या वह दिवालिया हो जाती है या किसी अन्य दबाब तथा अपरिहार्य कारणों से इसे चलाना कठिन हो जाता है

(ii) सोसाइटी के विघटन की घटना में, सोसाइटी की कोई भी परिसम्पत्ति सोसाइटी के सदस्यों को मिल जाएगी या में वितरित कर दी जाएगी।

(iii) इसकी परिसम्पत्ति तथा सम्पत्तियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाएंगी तथा छोडी गई सम्पतियां/परिसम्पतियां, यदि कोई हो, समरूप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसाइटी को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोग के लिए जिला कलैक्टर को अन्तरण के लिए विचारी जाएगी।

Ved Pal Bhardwaj

Distt. Registrar of Firms & Societies
PANIPAT

हम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम तथा पते इसके नीचे अभिदत हैं, सोसाइटी को उप– विधियों की सही प्रति के रूप में उक्त को प्रमाणित करते हैंः–

क्रम संख्या	नाम	पिता / पति का नाम	पद	उम्र	पता	व्यवसाय	फोटो	हस्ताक्षर
(i)	वेदपाल	श्री जयनारायण	प्रधान	45 वर्ष	मकान नं0 10 हाउसिंग बोर्ड कालौनी मडलौडा जिला पानीपत।	बिजनैश		Ved Pal Bhardwaj
(ii)	पवन कुमार	श्री औमप्रकाश	उप प्रधान	40	गांव गंगटेहडी तहसील असन्ध जिला करनाल	कृषि		P Sharma
(iii)	सुनीता शर्मा	श्री वेदपाल	महा सचिव	42	मकान नं0 10 हाउसिंग बोर्ड कालौनी मडलौडा जिला पानीपत।	अध्यापन		
(iv)	सुनील कुमार	श्री प्रीत सिंह	संयुक्त सचिव	39	गांव जोशी जिला पानीपत	बिजनैश		Sunil Sharma

NOTARY
JOHRI SINGH
PANIPAT
Regd. No. 2669
GOVT. OF

Sunita Sharma

Ved Pal Bhardwaj

(v)	सतीश कुमार	श्री औमप्रकाश	खजांची	37	मड़लौडा जिला पानीपत	अध्यापन		
(vi)	कुलदीप	श्री टीकाराम	सदस्य	35	गांव जोशी तहसील मडलौडा जिला पानीपत	अध्यापन		Kuldip Kumar
(vii)	कंगना	श्री दीपक	सदस्य	28	गांव जोशी तहसील मडलौडा जिला पानीपत	अध्यापन		Kangan

NOTARY ★ JOHRI SINGH PANIPAT Regd. No. 2609 GOVT. OF INDIA ★

गवाह-1 Pardeep Sharma S/o Krishan Dutt R/o Joshi Distt Panipat Identifying

गवाह-2 सतेन्द्र भारद्वाज S/o ओम प्रकाश गांव खिवाड़

ATTESTED
NOTARY, Panipat

Ved Pal Bhardwaj

3/3/14

Attested

Distt. Registrar of Firms & Societies
PANIPAT